



2026:AHC: 29960-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस संख्या- 81/2026

रवीन्द्र सिंह

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: सूबेदार मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकाय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

वर्तमान अपील अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, शाहजहाँपुर द्वारा सत्र विचारण संख्या - 1150 वर्ष 2020 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राकेश सिंह) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.11.2025 के विरुद्ध दायर किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या - 188 वर्ष 2020, धारा 304, 201 भा.द.सं., थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर के तहत पंजीकृत है, जिसके द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया गया है।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि अपीलार्थी का पुत्र अवनीश, दिनांक 08.07.2020 को ग्राम जमीलापुर में अपनी बड़ी बहन से मिलने गया था और अभियुक्त के कृषि खेत की कांटेदार तार की बाड़ से करंट लगने के कारण वहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम सूचनादाता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई गई थी, क्योंकि बच्चा 08.07.2020 की शाम तक वापस नहीं लौटा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारंभ में दिनांक 10.07.2020 को धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या - 188 वर्ष 2020 दर्ज करते हुए, पंजीकृत की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 08.07.2020 की शाम को मृतक गाँव की जनरल स्टोर की दुकान पर गया था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। शव दिनांक 13.07.2020 को एक नदी के पास मिला था। पंचायतनामा तैयार किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह अंकित किया गया कि मृतक के शरीर पर ऐसी चोटें थीं, जो बिजली के करंट के कारण लगी थीं और मृतक के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं पाई गई थी। अभियुक्त, अर्थात् विपक्षी संख्या 2 को प्रथम सूचनादाता के इस अभिकथन पर गिरफ्तार किया गया था कि अभियुक्त ने अभिषेक सिंह, अजीत सिंह और नन्हे लाल के साथ मिलकर मृतक की हत्या किया था क्योंकि प्रथम सूचनादाता और अजीत सिंह तथा नन्हे लाल के बीच पूर्व से शत्रुता थी। प्रथम सूचनादाता द्वारा बाद में दी गई एक शिकायत में यह कहा गया है कि प्रथम सूचनादाता के दामाद और पुत्री ने उसे सूचित किया था कि अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों ने प्रथम सूचनादाता के पुत्र की हत्या कर दी थी।

बिजली के तार की फर्द बरामदगी भी तैयार की गई थी।

तत्पश्चात, केवल विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया और अन्य व्यक्तियों, जिन्हें विपक्षी संख्या 2 का सह-अपराधी होने का अभिकथन किया गया था, उन्हें आरोप-पत्र से बाहर रखा गया। वाद सत्र न्यायालय को विचारण के लिए सुपुर्द किया गया और अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304/201 भा.द.सं. के अंतर्गत सत्र विचारण संख्या - 1150 वर्ष 2020 पंजीकृत किया गया।

विचारण न्यायालय के निर्णय के परिशीलन से पता चलता है कि पी.डब्ल्यू.-3, जो प्रथम सूचनादाता की पुत्री और मृतक की बड़ी बहन है और जिसके घर मृतक मिलने गया था, ने अभिकथन किया कि उसे गाँव के बच्चों ने बताया था कि अभियुक्त ने अपने कृषि खेत की रक्षा के लिए कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग किया था, जिसमें बिजली का करंट प्रवाहित हो रहा था, जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई और वह कृषि खेत पर पड़ा था। हालाँकि, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चले कि पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा उपरोक्त सुनने के बाद कोई कार्यवाही की गई थी।

विचारण न्यायालय के निर्णय से यह भी सामने आता है कि पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-4, जिन्हें विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, उन्होंने अभियोजन के वाद का समर्थन नहीं किया है और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था।

ऊपर वर्णित तथ्यों से यह प्रत्यक्ष है कि अभियोजन ने अभियुक्त को फंसाने के लिए दो अलग-अलग वाद उठाए हैं। एक वाद यह कि मृतक की मृत्यु कृषि खेत पर कांटेदार तार की बाड़ से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करंट लगाने के कारण हुई और दूसरा वाद यह था कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या की क्योंकि प्रथम सूचनादाता और अभियुक्त के बीच पूर्व से शत्रुता थी। अभियोजन विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी वाद की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका और न ही अभियुक्त द्वारा अपराध करने के किसी उद्देश्य को सिद्ध कर सका। फर्द बरामदगी पर भी विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर अविश्वास किया गया है कि पी.डब्ल्यू.-10, जो बरामदगी का गवाह है, बरामद किए गए बिजली के तार का विवरण नहीं दे सका और इसके अलावा बिजली के तार की स्थिति ऐसी नहीं थी, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सके।

अभियोजन के वाद में कमियों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अभियोजन के वाद को खारिज कर दिया और अभियुक्त को यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन अपना वाद उचित संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन का वाद मात्र संदेह पर आधारित है। संदेह, चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

हमें विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई ऐसी विकृति या अवैधता नहीं मिला, जिससे अपील में साक्ष्य का पुनः परीक्षण किया जाए।

अपील में गुण-दोष का अभाव है और **खारिज** किया जाता है।

वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद पत्रावली को अभिलेखागार में संचित किया जाए।

11 फरवरी, 2026

विपाशा

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)